05/8/25 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। मूल वाद अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्र० पत्र 212 RTA का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा० इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 15:14:53 IST
Reason: SelfAttested